संख्या - 63 /भा0स0 39/84-2-2013-5(वि0)/2013

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 29 अक्टूबर, 2013

विषय उपभोक्ता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री जी0एन0 सिंह, निदेशक (सी0पी0यू0), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-30(1)/2013-सीपीयू, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 की अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13 अक्टूबर, 2006 द्वारा गठित निम्नानुसार जनपदीय जांच समिति से भारत सरकार की अपेक्षानुसार राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों/कार्यकर्ताओ द्वारा दिये गये आवेदन/अभिलेखीय साक्ष्य/डाक्यूमेंटरी प्रूफ आदि का परीक्षण /सत्यापन कराकर पात्र स्वैच्छिक संगठनों/कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में समस्त विवरण एवं जांच समिति के कार्यवृत्त सहित संस्तुति नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि एक से अधिक जनपद आच्छादित हैं तो उक्तानुसार संस्तुति सम्बन्धित जनपद से भी प्राप्त कर नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाय :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अपर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी | ... | अध्यक्ष |
| (2) | जिला विद्यालय निरीक्षक | ... | सदस्य |
| (3) | जिला कोषाधिकारी | ... | सदस्य |
| (4) | जिला पूर्ति अधिकारी | ... | सदस्य सचिव |
| (5) | जिला सूचना अधिकारी | .... | सदस्य |
| (6) | जिला फोरम का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित कोई सदस्य | ... | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| (7) | जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाता है | .... | सदस्य |

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी )
प्रमुख सचिव।

...2....

http://bhasan.upsl.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 63/भा0स0 39(1)/84-2-2013 तद् दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को अग्रलिखित निर्देशों के साथ प्रेषित :-

(1) प्रतिलिपि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया जिलाधिकारियों द्वारा जनपद स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित उपलब्ध करायी गयी संस्तुति एवं विवरण के दृष्टिगत मेरिट के आधार पर परीक्षण कर मात्र 05 स्वैच्छिक संगठन एवं मात्र 05 कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ व निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ, एवं नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, 7 वाला कदर रोड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उक्त योजना को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in